कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन): (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के दौरान मंत्रालय के विभागों में 9098 शिकायत-याचिकाएं दर्ज की गईं। इनमें से 8311 शिकायतें निबटा दी गईं।

(ग) जी, नहीं, कमी की सीमा लगभग 4 प्रतिशत है।

"सिटीजन्स राइट टू इन्फोरमेशन" के संबंध में रिपोर्ट

1351. **श्री कपिल सिब्बल:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि "सिटीजन्स राइट टू इन्फोरमेशन" नामक रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने आम जनता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि गत वर्षों में सरकार ने आम जनता को सूचना का अधिकार देने के लिए विधेयक पारित कराने का वायदा किया था; और

(घ) यदि हां, तो यह वायदा कब किया गया था तथा सरकार इस वायदे को कब तक पूरा कर पायेगी?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन): (क) से (घ) सरकार तथा इसके लोक-निकायों के काम-काज में पहले की अपेक्षा और अधिक पारदर्शिता तथा खुलापन लाने की दृष्टि से सरकार ने "सूचना का अधिकार तथा खुली एवं पारदर्शी सरकार को बढ़ावा दिए जाने" के बारे में श्री एच०डी०शौरी की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया था। इस कार्यदल ने अन्य बातों के साथ-साथ, संसद द्वारा "सूचना का स्वातंत्र्य-अधिनियम" अधिनियमित किए जाने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट मई 21, 1997 को सरकार को प्रस्तुत कर दी थी। एक लोक-सभा—तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रधान मंत्री ने जुलाई 30, 1997 को, अलग से, यह आश्वासन दिया था कि उपर्युक्त कार्यदल की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए "सूचना का स्वातंत्र्य" संबंधी विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा। "सूचना का स्वातंत्र्य विधेयक," से सम्बन्धित विधान बनाए जाने के बारे में उपर्युक्त कार्यदल द्वारा की गई सिफारिश पर किया जा रहा विचार प्रगति अवस्था में है।

Women Officers in Higher Positions

1352. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that women officers occupy only 5 per cent of the posts at Additional Secretary and above level in the Government of India;

(b) if not, what is the statistical position with regard to higher positions occupied by women officers;

(c) whether any review has been done of this lop-sided position; and

(d) steps proposed to enhance representation of women at higher levels?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) to (d) At the level of Secretaries and Additional Secretaries in the Government of India, representation of women officers is 5.08% and 8.24% respectively. The representation of women officers at these levels is dependent on the number of women who joined services 30 to 35 years ago. It also depends upon the number of women officers who have been found eligible and suitable to hold such positions and who have come on deputation to the Central Government. On the question of adjudging the suitability of officers for holding positions in the Government of India, the criteria for both men and women are uniform, genderneutral and do not discriminate against women in any manner whatsoever.